

लागतों को वहन किये बिना वदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने का इरादा रखते हैं।

- उदाहरण के लिये अगस्त 2021 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नगिमति SPAC के माध्यम से NASDAQ (एक अमेरिकी स्टॉक मार्केट) पर एक भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी, रनियू पावर प्राइवेट लिमिटेड की हालिया लसिटिंग SPAC की लोकप्रियता की बात करती है।
- **ज़ोखमि को कम कर सुरक्षा सुनिश्चित करना:**
 - SPACs के माध्यम से सूचीबद्ध करना उल्लेखनीय माना जाता है क्योंकि पूरी प्रक्रिया न्यूनतम ज़ोखमि और सुनिश्चित नशितिता के साथ एक नशित समझौते के अनुसार होती है।
- **असहमत शेयरधारकों को सुरक्षा प्रदान करना:**
 - यह असंतुष्ट SPAC शेयरधारकों के हितों की भी रक्षा करती है क्योंकि प्रस्तावति अधगिरहण के खिलाफ वोट देने वालों को SPAC प्रमोटर्स को अपने शेयर बेचकर बाहर निकलने की अनुमति है।
- **नविशकों के लिये आकर्षक:**
 - अनविरय रूप से शेल कंपनयिँ होने के बावजूद ये नविशकों के लिये आकर्षक हैं क्योंकि **ब्लैक-चेक कंपनयिँ** लोगों द्वारा प्रायोजति होती हैं।
- **देशों और उपभोक्ता आधारों के लिये एक्सपोज़र का अवसर:**
 - कुछ व्यवसायों के लिये SPACs उन देशों और उपभोक्ता आधारों के साथ संपर्क हेतु अवसर भी प्रदान करते हैं जहाँ ऐसे वशिष्ट उत्पादों की मांग है तथा ऐसी कंपनयिँ को उच्च मूल्यांकन प्राप्त करने अनुमति है।

शेल कंपनयिँ:

- शेल कंपनी एक ऐसी फर्म होती है जिसका अर्थव्यवस्था में कोई संचालन नहीं होता है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से पंजीकृत, नगिमति या कानूनी रूप से संगठित होती है।
- इन्हें कभी-कभी अवैध रूप से जैसे कानून प्रवर्तन या जनता से व्यावसायिक स्वामित्व को छपाने के लिये उपयोग किया जाता है।

इनशियलि पब्लिक ऑफरिंग(IPO):

- प्राथमिक बाज़ार में जनता को प्रतभूतयिँ की बिक्री को इनशियलि पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है।
 - प्राथमिक बाज़ार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतभूतयिँ से संबंधित है। इसे **न्यू इश्यू मार्केट** के नाम से भी जाना जाता है।
 - इसे **शेयर बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज** के नाम से भी जाना जाता है। जो द्वितीयक बाज़ार से अलग है, जहाँ मौजूदा प्रतभूतयिँ को खरीदा और बेचा जाता है।
- इनशियलि पब्लिक ऑफरिंग तब प्रस्तुत की जाती है जब एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी या तो प्रतभूतयिँ को पहली बार या अपनी मौजूदा प्रतभूतयिँ की बिक्री का प्रस्ताव या दोनों को पहली बार शेयर बाज़ार में बिक्री के लिये जारी करती है।
 - गैर-सूचीबद्ध कंपनयिँ वे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती हैं।

एस्करो खाता (Escrow Account):

- यह एक कानूनी अवधारणा है जो एक ऐसे वतिलीय उपकरण को संदरभति करती है जिसके तहत लेन-देन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये संपत्तिया एस्करो मनी को दो अन्य पार्टयिँ की ओर से एक तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराया जाता है।
- तृतीय-पक्ष नधि को तब तक अपने पास रखता है जब तक कदोनों पक्ष अपनी संवदिात्मक शर्तों को पूरा नहीं कर लेते।

SPAC से संबंधित चित्ताँ:

- **खुदरा नविशकों के लिये रटिर्न सीमति हो सकता है:**
 - एसपीएसी के लिये नविशक फर्मों में उछाल और फरि लक्षति कंपनयिँ की तलाश ने नविशति फर्मों के पक्ष में पैमानों को झुका दिया है। इसमें सैद्धांतिक रूप से वलिय के बाद खुदरा (व्यक्तगित) नविशकों के लिये रटिर्न सीमति करने की क्षमता है।
- **प्रत्येक SPAC लक्ष्य आकर्षति करने में सक्षम नहीं है:**
 - क्योंकि एसपीएसी को लसिटिंग के बाद एक लक्षति इकाई की तलाश शुरू करने की आवश्यकता होती है और समग्र लेन-देन एक नरिदषिट समय-सीमा के भीतर पूरा करने की उम्मीद की जाती है, ऐसे में कई एसपीएसी आकर्षक लक्षति व्यवसायों की तलाश करते नज़र आते हैं।
- **सौदे के परणामस्वरूप जलदबाज़ी में नरिणय लयिा जा सकता है:**
 - समयबद्ध खोज - एसपीएसी दो साल के लिये मौजूद है, एक आकर्षक सौदे के परणामस्वरूप जलदबाज़ी में नरिणय हो सकते हैं, जिससे असंतुष्ट शेयरधारकों को बाहर निकलने हेतु प्रेरति कयिा जा सकता है और नविशकों का समग्र लाभ कम हो सकता है।
- **नरिशाजनक परणाम जाँच शुरू कर सकते हैं:**
 - कई मामलों में नरिशाजनक परणामों के फलस्वरूप शेयरधारकों द्वारा यूएस में एसपीएसी प्रायोजकों के खिलाफ क्लास एक्शन सूट और जाँच शुरू करने का नरिणय लयिा गया।
- अमेरिकी प्रतभूत और वनिमिय आयोग ने नविशकों के लिये अधिक खुलासे की आवश्यकता पर ध्यान दिया है और धोखाधड़ी तथा हतितों के टकराव के खिलाफ अधिक सुरक्षा का आह्वान कयिा गया है।

आगे की राह

■ भारत को SPAC का लाभ उठाना चाहिये :

- भारत, SPACs का संचालन सतर्कता, आशावाद और अधिक नियामक नरीक्षण के साथ किया जा रहा है, यहाँ तक कि SPACs द्वारा किये गए बेहतर प्रदर्शन के उदाहरण धीरे-धीरे धरातल पर देखने लगे हैं।
- उन्हें नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचे को मज़बूत करने और जोखिम को कम करने के लिये ऐसी कंपनियों को वैधानिक मान्यता प्रदान करना तथा नविशकों के हितों की रक्षा के उपाय करना आवश्यक है।

■ SPAC वैश्विकि एक्सचेंजों की अनुमति:

- यह आवश्यक है कि भारत में नगिमति SPAC को न केवल घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों पर बल्कि वैश्विकि एक्सचेंजों पर भी सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जानी चाहिये, ताकि लिक्विडिटी कंपनियों SPACs की लहर को पार कर अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में सक्षम बन सकें।

■ SPAC से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण:

- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत SPACs को मान्यता देना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अभी भी भारतीय प्रतभूत और वनियमि बोर्ड (सेबी) के परामर्श से बाज़ार प्रथाओं के आधार पर SPACs से संबंधित मुद्दों के अधिक उत्कृष्टता के साथ विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

- इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम की धारा 23(3) और धारा 23(4) के लागू होने के बाद ही भारतीय नगिमति SPACs की वदेशी सूची प्राप्त की जा सकती है। जो कुछ वर्गों की कंपनियों को अनुमत वदेशी क्षेत्राधिकार के स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी प्रतभूतियों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-purpose-acquisition-companies>

